संचिका संख्या–ज०शि०को०नि०–12/2012

दिनांक 03.12.2014 को उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–प्रभारी पदाधिकारी जनशिकायत कोषांग, कृषि निदेशालय के कार्यालय वेश्म में जनशिकायत की लंबित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1– उपस्थिति पंजी में संधारित।

2– बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों से लंबित मामलों के महत्वपूर्ण बिन्दु को चिन्हित कर संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की गई। वार्ता के दौरान जिलों से जो जानकारी प्राप्त हुई। निम्न प्रकार है :–

3– (i) संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना से दूरभाष पर वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में एन0एफ0एस0एम0 से भेजे गये पत्र का हवाला दिया गया तथा उस पर अनुपालन हुआ या नहीं, उसकी जानकारी ली गई। बताया गया कि शीघ्र जाँच प्रतिवेदन भेज दी जायेगी।

(ii) श्री संजय कुमार का परिवाद (प्रशाखा–10) मकान भाड़ा से संबंधित चौंसा प्रखंड, जिला–बक्सर के ट्राइसम भवन से संबंधित है जिसे भूलवश जाँच हेतु प्रशाखा–10 से भोजपुर जिला कृषि पदाधिकारी को भेज दी गई थी, जिसे ग्रामीण विकास विभाग को भेजने हेतु निदेशित किया गया।

(iii) दूरभाष पर संयुक्त निदेशक (शष्य), मुंगेर से वार्ता कर श्री अरूण कुमार (संदर्भ संख्या–00000–2012106174) के लंबित मामले की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होने बताया कि मुंगेर प्रमंडल हाल ही में अस्तिव में आया है तथा इस तरह के मामला मेरे यहाँ विचारधीन नहीं है। ज्ञातव्य हो कि पहले खगड़िया जिला सहरसा प्रमंडल अन्तर्गत आने के कारण यह संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा के यहाँ लंबित है। संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा से दूरभाष पर वार्ता हुई तथा मामले को संयुक्त निदेशक (शष्य), मुंगेर के यहाँ स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को सभी संबंधित कागजातों के साथ परिवाद संयुक्त निदेशक (शष्य), मुंगेर प्रमंडल को स्थानांतरित करने हेतु सुझाव दिया गया।

(iv) (a) उर्वरक कोषांग के प्रतिनिधि ने बताया कि एक परिवाद श्री देवेन्द्र यादव जो मांग पत्र से संबंधित है, जिसके बारे में शीघ्र निष्पादित करने के लिए निदेशित किया गया।

(b) उर्वरक कोषांग का ही एक मामला (00003–3105140031) श्री विपिन बिहारी का मुख्यमंत्री का अधिकार यात्रा से संबंधित है जिसका विषय बीज से संबंधित प्रतीत होता है। इस संबंध में उर्वरक कोषांग को आश्वस्त होने हेतु निदेश दिया गया।

(c) उर्वरक कोषांग का एक मामला (संदर्भ संख्या–00000–1001140124) श्री नवीन कुमार, कमलपुरा केवाड़ा पैक्स, पटना में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित है। क्रिभको से जवाब मांगा गया है। इस संबंध में जबाव 15 दिनों में नहीं प्राप्त होने पर कृषि निदेशक महोदय की सहमति उपरांत अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।

(v) सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/कोषांग प्रभारी एवं उनके उपस्थित प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि कृषि निदेशक के पत्रांक 5344 दिनांक 27.11.2014 के आलोक में कार्रवाई पूरी की जाय।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर) 05/12/14

(सुरेश प्रसाद गुप्ता)
उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–
प्रभारी पदा0 ज0शि0को0,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5531 /कृ0, पटना, दिनांक 08-12-14

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/उप निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, यांत्रिकीकरण/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान)/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना)/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत/उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)–सह–प्रभारी पदाधिकारी उर्वरक/उप कृषि निदेशक (सूचना)–सह–प्रभारी आई०टी० बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (बीज)/उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण योजना–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जैविक कोषांग/उप कृषि निदेशक, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी, एन०एम०वो०वो०पी० (NMOOP)/उप कृषि निदेशक (तेलहन)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, दियारा विकास/जन शिकायत पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी (सभी) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/05/12/14

उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–
प्रभारी पदा0 ज0शि0को0,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

5/12/14

(25)
11-12-2014